रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122020-223800
CG-DL-E-19122020-223800

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4041] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/अग्रहायण 27, 1942
No. 4041] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4604(अ).—केंद्रीय सरकार साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) के साथ पठित श्रम संहिता, 2019 (2019 की 29) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त संहिता के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :--

क्र.सं.	संहिता के उपबंध
(1)	धारा 42 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (10) और उपधारा (11) (जहां तक वह केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से संबंधित है)
(2)	धारा 67 की उपधारा (2) के खंड (ध) और खंड (न) (जहां तक वह केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से संबंधित है)
(3)	धारा 69 [जहां तक वह धारा 7 और धारा 9 से संबंधित है (जहां तक वह केंद्रीय सरकार से संबंधित है) और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 8]

[फा. सं. एस-32022/1/2020-डब्ल्यू सी]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2020

S.O. 4604(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) read with section 14 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby appoints the date of publication of this notification in the Official Gazette as the date on which the following provisions of the said Code shall come into force, namely:-

Sl. No.	**Provisions of the Code**
(1)	sub-sections (1), (2), (3), (10) and (11) of section 42 (to the extent they relate to the Central Advisory Board);
(2)	clauses (s) and (t) of sub-section (2) of section 67 (to the extent they relate to the Central Advisory Board);
(3)	section 69 [to the extent it relates to sections 7 and 9 (to the extent they relate to the Central Government) and section 8 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948)].

[F. No. S-32022/1/2020-WC]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.19 15:00:14 +05'30'